

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं नू. संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक: एफ.19(123)/निजभूस/एमओएपी/2009-10/3007-3320 दिनांक 9/9/09

कार्यालय आदेश

आयुक्तालय के समस्तकर्म आदेश दिनांक 2201-2516 दिनांक 18.2.2009 द्वारा बॉनस मार्गदर्शिका अनुसार क्रियान्वित की जा रही समस्त जलग्रहण विकास परियोजनाओं में कार्यरत जलग्रहण विकास दल के सदस्यों हेतु मानदेय एवं यात्रा भत्ता में वृद्धि की गई है। परिणामी एच इससे पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं में कार्यरत जलग्रहण विकास दल के सदस्यों को बॉनस मार्गदर्शिका द्वारा स्वीकृत जलग्रहण धंडों में कार्यरत जलग्रहण विकास दल के समान होने के कारण इनमें नियुक्त जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के यात्रा भत्ता सहित मानदेय में वित्तानुसार वृद्धि की जाती है।

क्र.सं.	विषय विशेषज्ञ	पूर्व में प्रदान किया जा रहा मानदेय (प्रति माह)	दिनांक 18.2.2009 से देय मानदेय (प्रति माह)
1	जल प्रबन्धक विशेषज्ञ	6000/-	8000/-
2	कृषि, सामाजिक, पशुपालन विशेषज्ञ	4000/-	6000/-

जलग्रहण विकास दल के सदस्यों का यात्रा भत्ता रु. 75/- प्रतिदिन की दर से अधिकतम 20 दिवस (प्रति माह) देय होगा। शेष शर्तें व्यथागत रहेंगी।

उक्त आदेश 18.2.2009 से सभी जलग्रहण परियोजनाओं में प्रभावी होंगे।

(Signature)
आयुक्त

क्रमांक: एफ.19(123)/निजभूस/एमओएपी/2009-10/3007-3320 दिनांक 9/9/09

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सारजन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रस्त.एल.एन.ए.) एवं आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं नू. संरक्षण, जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीनंगानगर जिले को छोड़कर)
4. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, आयुक्तालय।
5. समस्त अधिशापी अनियन्ता (नू. संसाधन) एवं परियोजना प्रबन्धक (डी.डब्ल्यू.डी.पू.) जिला परिषद (श्रीनंगानगर को छोड़कर)
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, आयुक्तालय

(Signature)
आयुक्त